बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

आदेश

राज्यान्तर्गत बालू भण्डारण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा बिहार राज्य से बाहर अन्य राज्यों में बालू बिक्री/प्रेषण पर रोक को हटाने का अनुरोध किया जाता रहा है। राज्य के बाहर बालू के बिक्री/प्रेषण के संबंध में गठित विभागीय समिति द्वारा बालू भण्डारण K-अनुज्ञप्तियों से राज्य के बाहर चालान काटने की व्यवस्था किये जाने की अनुशंसा की गयी है। राज्यान्तर्गत वर्तमान में बालू की मात्रा की उपलब्धता की समीक्षा में पाया गया कि राज्य में आगामी 04 माह के लिए बालू पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

2. उक्त के आलोक में राज्य में बालू की वर्तमान में पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए बालू भण्डारण अनुज्ञप्तियों से 26 जून 2026 से 15 अक्टूबर 2026 तक की अवधि के लिए बिहार राज्य से बाहर अन्य राज्यों में बालू की बिक्री/प्रेषण के लिए ई–चालान निर्गत करने हेतु अनुमति निम्न शर्त्तों पर दी जाती है :–

I. इस व्यवस्था की समय–समय पर समीक्षा की जायेगी। जनहित एवं राज्यहित में इसे कभी भी बंद किया जा सकता है।

II. मानसून अवधि की समाप्ति (दिनांक– 15.10.2026) के पश्चात इसे विस्तारित करने के संबंध में बाद में निर्णय लिया जायेगा।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/- 19/06/26

(भारत भूषण प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 02/एम0एम0(बा0)–07/23–3916/एम०, पटना, दिनांक–19/06/26

प्रतिलिपिः– सभी समाहर्त्ता/सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 19/06/26

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 02/एम0एम0(बा0)–07/23–3916/एम०, पटना, दिनांक–19/06/26

प्रतिलिपिः– प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर, NIC/ आई0टी0 प्रबंधक, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 19/06/26.

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 02/एम0एम0(बा0)–07/23–3916/एम०, पटना, दिनांक–19/06/26

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 19/06/26

सरकार के अपर सचिव